अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 14.07.2015

समस्त जिला कलेक्टर्स
राजस्थान।

विषयः- भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

इस कार्यालय के अ.शा.पत्र क्रमांकः एफ17(1)1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांकः 11.07.2015 द्वारा आपको राज्य में 15 अगस्त, 2015 से राजकीय योजनाओं के लाभ भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया था। इस संबंध में आज दिनांक 14.7.2015 को आयोजित **कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा निर्देश दिये गये है कि** भामाशाह प्लेटफार्म से लाभ हस्तांतरण की तैयारी के सम्बन्ध में सभी जिला कलेक्टरों द्वारा कलेक्टर्स कांफ्रेंस में अपनी कार्य योजना के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

इस हेतु आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन वितरण, मनरेगा मजदूरी एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के सभी लाभार्थियों का भामाशाह नामांकन करने के साथ ही उनके आधार व बैंक खाता संख्या को विभागीय योजना के डेटा में सींडिंग की कार्यवाही करने के साथ ही सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बैंकिग संवादकर्ता एवं माइक्रो एटीएम की तैनाती सुनिश्चित करनी है। इस संबंध में आप योजनावार संलग्न प्रपत्र में दिनांक 21 जुलाई, 31 जुलाई, 07 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त तथा 31 अगस्त,2015 तक तिथिवार अपने जिले के लिए लक्ष्य स्वंय निर्धारित कर दो दिन में इस विभाग को अवगत करावें तथा तत्पश्चात् प्रति सप्ताह लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति के सम्बन्ध में नियमित रिपोर्ट भी प्रेषित करें ताकि श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को साप्ताहिक रूप से अवगत करवाया जा सके।

यहाँ उल्लेख करना उचित होगा की दिनांक 15.08.2015 तक कम से कम एक ब्लॉक का उपरोक्त योजनाओं से संबंधित शत-प्रतिशत कवरेज अपेक्षित है तथा 01 सितम्बर,2015 तक सम्पूर्ण जिले के अधिकांश लाभांवितों का कवरेज किया जाना है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 14.07.2015

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अति जिला कलेक्टर्स....................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................
4. समस्त उपखंड अधिकारी/विकास अधिकारी व तहसीलदार ....

(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग